**बिहार सरकार**

**समाज कल्याण विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

स०क०निग०-30-237/09(खण्ड-I)-2094/ श्रीमती नीलिमा सिन्हा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तिलौधू (रोहतास) के विरुद्ध मुख्यालय में आवासन नहीं रखना आंगनबाड़ी सेविकाओ से रिश्वत की मांग एवं दुर्व्यवहार करने, मानवीय मूल्यों के विरूद्ध कार्य करने तथा अधीनस्थ कर्मियों का आर्थिक शोषण करने आदि जैसे गंभीर आरोपों के संदर्भ में जिला पदाधिकारी रोहतास के पत्रांक-3689/08.12.2009 द्वारा प्रपत्र-क में आरोप गठित कर साक्ष्यों सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. आरोपों की गंभीरता को देखते हुये विभागीय अधिसूचना संख्या-1767/21.04.2010 द्वारा श्रीमती नीलिमा सिन्हा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तिलौथू (रोहतास) को सेवा से निलंबित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम, 2005 के तहत विभागीय संकल्प संख्या-2023/07.05.10 द्वारा श्रीमती सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा श्रीमती पूनम सिन्हा प्रशिक्षण पदाधिकारी आई०सी०डी० एस० निदेशालय बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना, समाज कल्याण विभाग बिहार पटना को उपस्थान पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. उक्त के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्र स०-309 दिनांक-07.02.11 एवं पत्र स०-877 दिनांक-01.04.11 'द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने लगाये गये आरोपों में सभी को सही पाया। समीक्षोपरांत आरोपी से विभागीय पत्रांक-1928 दिनांक-29.04.11 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गयी तथा प्रत्युतर हेतु वांछित अभिलेख विभागीय पत्रांक-2230 दिनांक-19.05.11 द्वारा आरोपित को उपलब्ध कराया गया जिसके क्रम में श्रीमती सिन्हा द्वारा अपने पत्र दिनांक- 18.05.11 एवं 07.06.11 से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा समीक्षोपरात प्रस्तुत उत्तर को असंतोषप्रद पाते हुये प्रमाणित अत्यंत गंभीर आरोपों के लिए श्रीमती सिन्हा को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (1) के आलोक में सेवा बर्खास्तगी के दण्ड दिए जाने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार का अनुमोदन प्राप्त कर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक-445/30.01.12 द्वारा सहमति की अपेक्षा की गयी। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-3237 दिनांक-28.03.12 द्वारा प्रस्तुत मामले में आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव से इस आधार पर असहमति व्यक्त की गयी कि प्रस्तावित दण्ड अनुपातिक नहीं है।

5. बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श पर सरकार द्वारा सम्यक विचार किया गया तथा इस निर्णय पर पहुंचा गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी का आचरण सरकारी सेवा के मूलभूत निष्ठा के अवधारणा के विपरीत है तथा इनके सरकारी सेवा में बने रहने से सरकार की छवि तथा जनहित को गंभीर हानि होगी। अत: सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर वृहद दण्ड दिया जाय। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी पदाधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय नियमानुकूल एवं समानुपातिक है। बर्खास्तगी की शास्ति पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-10.04.2012 के मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत विभागीय अधिसूचना स०-2182, दिनांक-27.04.2012 द्वारा श्रीमती नीलिमा सिन्हा तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तिलौथू (रोहतास) को तत्कालीन प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किये जाने की शास्ति दी गई।

6. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्रीमती सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्लू० जे०सी० स०-1173/2015 दायर किया गया है. जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-18.01.2019 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

" Having considered the submission of the parties the writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to raise his objection before the competent Authority under Rule-24(2) of the Bihar CCA, Rules-2005 by filing review and/or in the form of memorial before the Competent Authority-In the event such a review is filed within four weeks from today, the same

Some

shall be considered and final order thereupon be passed in accordance with law by a reasoned and speaking order within a period of three months thereafter- The writ petition stands disposed of."

7. उक्त न्यायादेश के आलोक में श्रीमती सिन्हा द्वारा विभाग के समक्ष समर्पित पुनर्विचार हेतु आवेदन को विभागीय आदेश दिनांक- 31.05.2019 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

8. उक्त के आलोक में श्रीमती सिन्हा द्वारा पुन: माननीय न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० खं०-15728/2019 दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-24.12.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"16. Having regard to the facts and circumstances of the case and for the reasons mentioned herein above, I do not find any merit in the present petition, hence the same stands dismissed."

9. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध श्रीमती सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एल०पी०ए० सं०-141/2022 दायर किया गया है. जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-19.04.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"Question of reinstating appellant is not warranted in view of the fact that during pendency of the present lis. She has attained 60 years. If she was in service, she would have attained age of superannuation and retired from service in the month of January, 2023. Therefore, the Appointing Authority & State Government is hereby directed to extend all monetary and service benefits from the date of dismissal till January, 2023 and proceed to calculate and disburse the monetary benefits- If the appellant is entitled to pensionary benefits, the same shall be extended and so also fixation of pension and] thereafter, arrears of pension and continue to pay pension on monthly basis, if she is otherwise eligible. The above exercise shall be undertaken by the State Government/Appointing Authority to the appellant within a period of six months from the date of receipt of this order, failing which appellant is entitled to litigation cost and it is quantified at Rs- 25,000/- twenty five thousand"

10. उक्त न्यायादेश द्वारा विभाग की अधिसूचना संख्या-2182, दिनांक 27.04.2012 द्वारा श्रीमती सिन्हा को सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश, अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक-31.05.2019 को पारित आदेश तथा सी०डब्लू० जे०सी० सं०-15728/2019 में दिनांक-24.12.2021 को पारित न्यायादेश सभी को निरस्त करते हुए, याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की तिथि से सभी लाभ एवं अन्य अनुमान्य सेवान्त लान का भुगतान 06 माह के अन्दर किये जाने का आदेश दिया गया है भुगतान 06 माह के अन्दर नहीं किये जाने की स्थिति में रुपये-25,000/- दिये जाने का आदेश दिया गया है।

11. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस०एल०पी० (सी०) संख्या-44076/2025 दायर किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-26.09.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"1. Delay condoned

2. After hearing learned counsel for the petitioner, we are not inclined to entertain this special leave petition Accordingly, the Special Leave Petition is dismissed.

3. Pending application, if any, shall stand disposed of."

12. उक्त वर्णित वस्तुस्थिति के आलोक में एल०पी०ए० सं०-141/2022 को खारिज किये जाने को पारित आदेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या-1093. दिनांक-20.11.2018 के आलोक में गठित समिति के समक्ष उक्त मामले को रखे जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना वित्त विभाग, बिहार पटना एवं विधि विभाग, बिहार पटना की सहमति प्राप्त करते हुए नोडल विभाग, विधि

solo!

विभाग के माध्यम से दिनांक-18.03.2026 को समिति के समक्ष मामले को प्रस्तुत किये जाने पर समिति द्वारा निम्न अनुशंसा की गयी :-

**"समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत एल०पी०ए० सं०-141/2022 (नीलिमा सिन्हा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-19.04.2025 को पारित न्यायादेश का अनुपालन किये जाने के दृष्टिपथ श्रीमती नीलिमा सिन्हा की सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।"**

13. समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती नीलिमा सिन्हा को विभागीय अधिसूचना संख्या- 2182, दिनांक-27.04.2012 द्वारा दिये गये दण्डादेश को निरस्त किये जाने एवं बर्खास्तगी की तिथि से सभी लाभों का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

अत: उक्त के आलोक में श्रीमती नीलिमा सिन्हा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तिलौधू (रोहतास) को विभागीय अधिसूचना संख्या- 2182, दिनांक-27.04.2012 द्वारा दिये गये सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

2. इन्हें बर्खास्तगी की तिथि से सभी लाभों का भुगतान देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
29/4/26
(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- स०क०निग०-30-237/2009- 2094 पटना-15 दिनाक :- 30.04.2026

प्रतिलिपिः- ई-गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/4/26
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- स०क०निग०-30-237/2009- 2094 पटना-15 दिनांक :- 30.04.2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, रोहतास / कोषागार पदाधिकारी, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार पटना/ प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/ जिला पदाधिकारी, रोहतास / निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, पटना/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, रोहतास / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था०)/ विभागीय आई०टी० मैनेजर( विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/ श्रीमती नीलिमा सिन्हा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तिलौथु, रोहतास, पत्राचार का पता-शरत कुमार सिन्हा, मोगलपुरा, जग्गी का चौराहा, नबाव बहादुर रोड, नयी सड़क, पटना-08 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/4/26
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।